लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्रियान्वयन एवं समस्या

डॉ. अजय चंद्राकर

विभागाध्यक्ष राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत वर्ष में लोकतंत्र की स्थापना की गई। संविधान के अनुसार भारत में एक प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना की गयी है और प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। संविधान के द्वारा एक धर्म–निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गयी है जिसमें लोगों को शासन के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त किये गये है।

भारत में अब तक जितने भी आम चुनाव हुए है यहां की जनता ने जिस विवेक के आधार पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया है उसके आधार पर भारतीय नागरिक एक प्रजातंत्रात्मक देश के सुयोग्य नागरिकों के आचरण कर सकते है और उन्होंने इसी रूप में आचरण किया है।

लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। जब शासन वर्ग द्वारा एक लम्बे समय तक शासितों पर अत्याचार किये जाते है और इस प्रकार के अत्याचारों से मुक्तिपाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता है तभी जनता के द्वारा क्रांति की जाती है। लोकतंत्र में क्रांति की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि शासन वर्ग लोकमत अनुसार ही शासन का संचालन करता है और यदि शासन अनुचित कार्य करता रहे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानाजाता है और इस शासन के जनता स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप मे नहीं मिलती है।

लोकतंत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सभी वर्गों को प्रतिनिधि प्राप्त होता है। पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला । लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनक नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है और लोगों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान व आत्मनिर्भर की भावना उत्पन्न करता है।

भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का समान्यतया अभाव है और इसी कारण

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल आदि पदधारी व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होते है जो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं देते है। हड़ताल भूख हड़ताल, प्रदर्शन और आंदोलन की प्रवृत्तियाँ भी समय–समय पर बहुत अधिक प्रबल ही है जिन्हें संयमित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

भारतीय संविधान लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया है इस लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के द्वारा देश के सभी राज्यों को विकास की ओर ले लाएगा इस विकास को भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताओं द्वारा समझाया गया है। संविधान की विशेषताओं में लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित सिद्धांत यह लोकप्रिय प्रभुत्ता पर आधारित संविधान और इस संविधान द्वारा अन्तिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। भारतीय संविधान संघात्मक है और यह इतना व्यापक है जिसके अनेक कारणों का समाहित किया है। इसमें इकाईयों के प्रशासनिक ढांचें का वर्णन किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों और प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है इसके अतिरिक्त राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अध्याय पृथक रखा गया है। संकट कालिन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया है। भारतीय संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीयभाषा, क्षेत्रिय भाषाएं, चुनाव लोक सेवाएं, संविदा और अभियोग व भारतीय क्षेत्र में व्यापक और पारस्परिक व्यवहार आदि से भी संबंधित व्यवस्थाएं की है। जो कि लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है।

भारतीय संविधान की विशेषता में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय शासन व्यवस्था सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत देश आंतरिक व बाहरी दृष्टि

से भारत पर है और वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के बाध्य नहीं है और भारत में राजसत्ता जनता में निहित है और भारत राज्य का सर्वोच्य अधिकारी वंशानुक्रम न होकर जनता व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। वह भारत में लोकतंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका है।

लोकतंत्र स्थापना से ही भारत में विभिन्न राज्यों का शासन व्यवस्था कुशलतापुर्वक चल सका। इसी व्यवस्था में 2000 में तीन नवीन राज्य का अभ्युदय हुआ। (1) छत्तीसगढ़, (2) झारखंड ओर (3) उत्तरांचल ये तीन राज्य बने ।

पृथक राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की मांग लम्बे समय से होती रही ओर आखिरकार 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनकर तैयार हो गया जिसके प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री अजीत जोगी ने शपथ ग्रहण किया।

रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी के रूप में चुना गया। जिसमें तीन संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर है, तथा रायपुर, दुर्ग, कर्वधा, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर तथा राजनांदगांव नामक 16 जिले है।

छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। छत्तीसगढ़ के प्रायः पिछडे हुए है. चाहें तो हम इसे समयानुसार शोषित भी कर सकते है । यह एक ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की बहुलता है। इस सब सामाजिक परिवेश को देखते हुए एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की आवश्यकता महसूस किया गया।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। धान का कटोरा कहलाने वाला यह क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहां पर मात्र 16 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है यहां पर 70.95 प्रतिशत सिंचाई नहरों द्वारा होती है। अर्थात् राज्य की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकांश वर्षा जून से सितम्बर माह के मध्य 94 प्रतिशत तक होती है तथा दिसम्बर व जनवरी के मध्य कुछ वर्षा चक्रवातों से होती है और

अन्य माह लगभग शुष्क रहते है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसूनी हवाओं से आती है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक वर्षा बस्तर अबुझमाड़ क्षेत्र में होती है। औसतन यहां 187.5 सेमी वर्षा होती है। अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर होने के कारण कृषि का स्तर गिर गया है।

इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश वर्ष सूखा व अकाल होता है। यदि अकाल व सूखा की राजनीति को जन्म देता है ऐसे समय में सरकार जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर भारी दबाव डाला जाता है। नवीन छत्तीसगढ राज्य में अकाल के कारण विभिन्न प्रकार से केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के राहत कार्य चलाये गये। विभिन्न जिलों में नये तालाबों का निर्माण किया गया तथा विभिन्न जिलों व गावों में तालाबों का गहरीकरण किया गया तथा गांवों में सड़क निर्माण कराकर राहत कार्यों के रूप में कार्य किया गया है।

नवगठित राज्य (छत्तीसगढ़) में राज्य विधानसभा हेतु निर्धारित सदस्य संख्या 90 है विधानसभा में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है। कुल सदस्य संख्या 90 में कांग्रेस के 48 विधायक है। उनमें से 27–27 विधायक अनुसूचित जनजाति के हैं। इसलिए अनुसूचित वर्ग के नेता अजीत जोगी को राज्य का सर्वप्रथम मुख्यमंत्री चयनित किया गया।

छत्तीसगढ में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 11 है वे है– सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर बिलासपुर, सारंगढ़, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दुर्ग, तथा राजनांदगांव है।

राज्य सभा के लिए मध्यप्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के 16 सदस्यों में से जो 5 सदस्य हैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे है। उसके स्थान पर नये सदस्यों का निर्वाचन वर्तमान सदस्यों की कार्यावधि समाप्त हाने पर होगी।

साधारणतया एक देश या राज्य विधान या कानून के अन्तर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है। किन्तु व्यवहार में राजनीतिक दलों अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है, जितना विधान व कानून ।

प्रजातंत्रीय शासन के अन्तर्गत केवल शासन दल का ही नहीं, वरन् विरोधी दल का भी बहुत महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित तथा नियंत्रण रखने का कार्य करता है कि और राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व सम्भव नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 4 राजनीतिक दल विद्यमान है, कांग्रेस, भाजपा, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र। ये चारों पार्टीयां ही आज छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सत्ता में है। परंतु राज्य में प्रमुख रूप से 2 राजनीतिक दल कांग्रेस तथा भाजपा ही प्रमुख रूप से सक्रिय है।

छत्तीसगढ़ राज्य में राजनैतिक दबाव समूह लोक सभा, विधानसभा, नगरपालिका, आदि के चुनाव के बाद पहले देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार से दबाव समूह विद्यमान है और यह दबाव समह प्रशासन को प्रभावित करती है। दबाव समूह प्रशासन से अपने कार्यों को मनवाने के लिए समय—समय पर हड़ताल जूलूस सम्मेलन आदि करते रहते है।

भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में राजनीतिक संबंध होने चाहिए जिससे केन्द्र व राज्य सरकार के संबंधों में मधुरता रहें। जिससे केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रति सहयोग की भावना रखें। वैसे तो भारतीय संविधान में केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों के प्रति सहयोग की भावना रखे वैसे तो भारतीय संविधान में केन्द्र राज्य संबंधों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों के परस्पर संबंध से राज्य को लाभ मिलता है।

छत्तीसगढ़ सरकार को केन्द्र सरकार नवीन छत्तीसगढ़ के विकास में विभिन्न लाभ पहुंचे है। छत्तीसगढ राज्य में विभिन्न प्रकार योजनाओं व विकास से सहयोग मिलता है।

भारत के संविधान में राज्यों की अपनी संस्थागत और संवैधानिक स्थिति है। उन्हें संघ या केन्द्र की पर नहीं छोड़ा गया है। उसका भारतीय संघ में गौरवपूर्ण अस्तित्व है। मुख्यमंत्री को राज्य के वास्तविक शासक के रूप का नायक माना जाता है। वह राज्य की जनता इच्छाओं अपेक्षओं तथा आंकाक्षाओं का प्रतिक होता है। किसी राज्य की विकास और जनकल्याण में भी उसकी प्रबल और प्रभावशाली भूमिका होती है। उसी भूमिका का निर्वाह छत्तीसगढ़ राजय के चहुमुखी विकास में मुख्यमंत्री की भूमिका होनी चाहिए ।

नवीन राज्यों के अभ्युदय में इस राज्य के मुख्यमंत्री ने जितने चुनौतियों को स्वीकारा है जिसमें यहां की गरीबी, पिछड़ेपन, अपराध आदि पर नियंत्रण पाना तथा राज्य सरकार को विशेष रूप से सिंचाई के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। छत्तीसगढ राज्य में नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती से किस प्रकार निपटा जाए यह राज्य सरकार की बहुत बड़ी समस्या है।

छत्तीसगढ़ राज्य के पास विकास की अनेकानेक सम्भावनाएँ । छत्तीसगढ़ की धरती के गर्भ ने अनेक खनिज – सम्पदाएं छुपी हुई है। जिसके सही दोहन की आवश्यकता राज्य सरकार की हे। छत्तीसगढ़ में खनिज सम्पदा, हीरा, अलेक्जेण्डराइट के भंडार विद्यमान हैं जिससे नवीन राज्य छत्तीसगढ का विकास होगा। प्रशासन को चाहिए कि इसका विकास इस तरह से करें कि दन सबका लाभ श्रमिकों को मिले। इसी प्रकार राज्य में सीमेंट आदि के बहुत से कारखाने है। कृषि बहुल क्षेत्र होने के कारण धान के भी बहुत सी मिलें है। इन सबका लाभ राज्य के श्रमिकों को बहुत अधिक संख्या में मिलना चाहिए। इन सबका राज्य के श्रमिकों को मिलना चाहिए। तभी राज्य के सभी क्षेत्रों को लाभ है।

भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था ने तो सबको समान मताधिकार देकर लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार देकर लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकर दे दिया है। किन्तु यह भागीदारी करना और जनता की उदासीनता को दूर कर उनको भागीदारी करवाना दूसरी बात है । उदासीन सोई हुई जनता को जगाना और राजनीति में भाग लेने की प्रेरणा देना, उनको मत देने को कहना, उनको विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के पक्ष–विपक्ष की जानकारी देना,

उनको प्रशासन की बुराईयाँ बतलाना, सरकार तानाशाही व दुषित नीतियों के विरूद्ध आन्दोलन करना यह सब दबाव समूह करते है। राजनीतिक शक्ति के सहायक राजनीतिक दल दबाव समूह व एलीट है।

लोकतंत्रीय शासन में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता है। इस राज्य को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो यहां के जल संसाधन का विकास करे सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कर यहां जनसंसाधन को पूर्ण कर यहां नहरों का निर्माण करे, बाकी यहां के परिश्रमी जनता स्वयं कर लेगी। आज विवादों से बचकर चलने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जागृत करना होगा। पृथक राज्य अपनी तस्वीर सुधारने का अवसर दे रहा है, जिसका भरपुर लाभ उठाने की जिम्मेदारी स्वयं के नेतृत्व एवं जनता की है।

छत्तीसगढ़ के निर्माण के इस दौर में उसके सांस्कृतिक आयाम को भी ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप में पूर्ण इकाई है। छत्तीसगढ़ का निर्माण एक नयी यात्रा की शुरूआत है। उम्मीद करें कि राजनीतिक क्षितिज पर छत्तीसगढ़ सिर्फ मोहरा भर नहीं बना रहेगा बल्कि क्षेत्रीय विकास के अपने लक्ष्य को सिद्ध कर देश के मानचित्र में अपनी एक महत्वपूर्ण, जगह बनाएगा। नये राज्य के निर्माण का सुफल वहां के अंतिम आदमी के झोली में ही टपके. यह निश्चित होना चाहिए वरना भूखा तो मध्यप्रदेश में भी था ओर छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ से जुट गया है, देखना यह है कि छत्तीसगढ़ के आम आदमी केलिए वह उपलब्ध होता है या नहीं ? राज्य बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ के पिछडेपन से निपटने की चुनौती आयेगी।

जन–शक्ति और प्राकृतिक सम्पदा से बहुत इस देश का विकास, राष्ट्र का विकास का ही एक अंग है। अतः यह सबके लिए गम्भीरता पूर्वक सोचने तथा सक्रीय सहयोग देने का विषय है।